बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या :– संविदा नियोजन– 07/2022
विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन

बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली–2019 – अधिसूचना संख्या–72 (3) दिनांक 27.02.2019 समय–समय पर यथा संशोधित, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12534 दिनांक 17.09.2018 में निहित शर्त्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक है, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय बेवसाईट **https://state.bihar.gov.in/lrc** पर Login किया जा सकता है।

2. **विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल पद :– 8244 (आठ हजार दो सौ चौवालीस)**

आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1301	75	1422	917	282	3525	722
* रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।						

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या–13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

3. **आरक्षण** :– राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेकनिक महाविद्यालय एवं AICTE से संबंद्ध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेकनिक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

4. **मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता :–**

क्र0 सं0	पदनाम	न्यूनतम योग्यता एवं अहर्त्ता	मानदेय	अभ्युक्ति
1	विशेष सर्वेक्षण अमीन	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	31000/– (मानदेय 24202.50, EPF and ESI सरकार का अंशदान–2797. 50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति–4000/– प्रतिमाह 12 माह के लिए)	–

5. विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाईल एवं इन्टरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को एक वर्ष तक प्रति माह 4000/– रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इन्टरनेट पर होने वाले व्यय 400/–रूपये प्रतिमाह तक की ही प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी।